हुक्म तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
02/01/24	ल वादी वकील प्रतिवादी उपस्थित आज एसी साहब अवकाश/भ्रमण/अन्य कार्यों में व्यस्त है जिसके वास्ते..प्रा.प./बहस दिनांक 30/01/24 को पेश हो। प्रा० पत्र मौका कमिश्नर	
30/01/24	पत्रावली पेश हुई। अभि० उभयपक्ष उपस्थित। पत्रावली वास्ते जवाब/बहस प्रा० पत्र मौका कमिश्नर दिनांक 13/02/24 को पेश हो। सहायक कलक्टर उच्चैन (भरतपुर)	
13/02/24	पत्रावली पेश हुई। अभि० उभयपक्ष उपस्थित। प्रा० पत्र मौका कमिश्नर का जवाब पेश नहीं करना चाहते जवाब बंद किया जाता है। प्रा० पत्र मौका कमिश्नर पर उभयपक्ष की बहस सुनी गई बहस पर मनन किया गया। प्रा० पत्र का अवलोकन किया गया। प्रा० पत्र मौका कमिश्नर खारिज किया जाता है। प्रा० पत्र T.I. पर उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 15/02/24 को पेश हो। सहायक कलक्टर उच्चैन (भरतपुर)	
15/02/24	पत्रावली पेश हुई, पीठासीन अधिकारी मुख्यालय से बाहर हैं। पूर्वानुसार 20/02/24 को पेश हो।	
20/02/24	पत्रावली पेश हुई। अभि० उभयपक्ष उपस्थित। प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से	

Scanned with ACE Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	विविध / [illegible]	
	लिफाफा खोलकर प्रारंभिक पत्रावली है। पत्रावली फैसला मुताबिक होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर उज्जैन (म.प्र.)	

न्यायालय सहायक कलक्टर उच्चैन(भरतपुर)

पीठासीन अधिकारीः— श्री ललित मीना (आर.ए.एस)
वाद क्रमांकः—119 / 2023(पुराना 29 / 2022)

1. विष्णू पुत्र परभाती जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम सिकरौदा तहसील उच्चैन भरतपुर।

.....प्रार्थी

बनाम

1. रामखिलाडी पुत्र फूलसिंह जाति कुशवाह निवासी सैदपुरा तह0 उच्चैन जिला भरतपुर।
2. गीता देवी पत्नि जुम्मा जाति मुसलमान निवासी सैदपुरा तह0 उच्चैन जिला भरतपुर।
3. इन्द्रादेवी पत्नी गंगाराम जाति ब्राह्मण निवासी सैदपुरा तह0 उच्चैन जिला भरतपुर।
4. रामभरोसी पुत्र रामजीलाल जाति ब्राह्मण निवासी बरिघा तह0 उच्चैन जिला भरतपुर।
5. रीना पत्नि हरगोविन्द जाति गूजर निवासी जिन्दपुरा तह0 रूपवास।
6. हेमलता पत्नि राजमुकुट जाति गूजर निवासी जिन्दपुरा तह0 रूपवास।

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए.

उपस्थितिः—
1. श्री धर्मेन्द्र चौधरी एडवोकेट
2. श्री सचिन शर्मा एडवोकेट

निर्णय **दिनांकः— 20.02.2024**

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 आरटीए के तहत पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के स्वामित्य व अधिपत्य की आराजी खसरा नम्बर 232 रकवा 1 बीघा 12 बिस्वा वाके ग्राम सैदपुरा तहसील रूपवास में स्थित है। उक्त जायदाद प्रार्थी द्वारा सन् 2010 में जरिये रजिस्टर्ड वयनामा उक्त आराजी के तत्कालीन खातेदार से क्रय किया था तथा क्रय करने के समय से ही प्रार्थी उक्त आराजी का वाहैसियत मालिक काविज होकर स्वतंत्रतापूर्वक उपयोग करता चला आ रहा है। उक्त जायदाद मुख्य सडक उच्चैन से रूपवास मार्ग पर स्थित है जिस कारण सहखातेदार के मन में बदयान्ती आ गयी है तथा वह लठ्ठ व ताकत के बल पर सडक के सहारे वाले हिस्से पर अतिक्रमण कर वादी प्रार्थी के बेदखल कर बिना किसी भूमि रूपान्तरण के मौके पर निर्माण कार्य कराने पर आमदा है एवं दिनांक 01.03.2022 को अप्रार्थीगण सं0 1 लगा0 3 मौके पर आ गये एवं धमकी

सहायक कलक्टर
उच्चैन (भरतपुर)

Scanned with ACE Scanner

की हम सडक के सहारे वाली कीमती जमीन पर लठ्ठ के बल पर प्रार्थी को बेदखल कर नाजायज कब्जा कर लेंगे एवं शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग नहीं करने देंगे।

प्रार्थना पत्र प्रार्थी दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 लगा0 3 जबाव पेश नहीं करना चाहते इसलिए जबाव बंद किया गया। जबकि अप्रार्थी संख्या 4 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। अप्रार्थी संख्या 5 व 6 को प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 स्वीकार होने के पश्चात पक्षकार मुकदमा बनाया गया। अप्रार्थी संख्या 5 व 6 की ओर से जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि विवादित खसरा नम्बर में दिनांक 18.01.2012 को प्रतिवादी संख्या 1 रामखिलाडी 4/9 हिस्सा का खातेदार काश्तकार काबिज आराजी था तथा आराजी मौके पर खातेदारान की सहमति से विभाजित थी। प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा दिनांक 18.01.2012 को कुल आराजी में से 2 विस्वा भूमि का विक्रय जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र गीता पत्नि जुम्मा खां जाति मुसलमान निवासी सैदपुरा को विक्रय कर मौके पर कब्जा प्रदान कर दिया था। श्रीमती गीता ने अपने स्वामित्व व कब्जा की दो विस्वा भूमि को जरिये रिजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 03.02.2022 को रीना पत्नि हरगोबिंद तथा हेमलता पत्नि राजमुकुट निवासी जिन्दपुरा को विक्रय कर उसी रोज मौका व कब्जा प्रदान कर दिया एवं क्रेतागण ने क्रय की गई आराजी में पुक्ता निर्माण कर उसमें निवास शुरू कर दिया।

प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराय एवं अवगत कराया कि उक्त विवादित आराजी प्रार्थी द्वारा तत्कालीन खातेदार से जरिये रजिस्टर्ड वयनामा दिनांक 25/01/2010 को क्रय किया था तथा क्रय करने के समय से ही प्रार्थी उक्त आराजी का वाहैसियत मालिक काविज होकर स्वतंत्रतापूर्वक उपयोग करता चला आ रहा है। उक्त विवादित जायदाद उच्चैन से रूपवास मार्ग पर स्थित है जिसके कारण सहखातेदारों के मन में बदयान्ती आ गई है और वह सडक के सहारे वाली भूमी पर बिना विभाजन कराये कब्जा करने पर उतारू है। प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

अभिभाषक अप्रार्थी ने अपनी बहस में अवगत कराया कि उक्त विवादित आराजी अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा दिनांक 18.01.2012 को कुल आराजी में से 2 विस्वा भूमि का विक्रय जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र गीता पत्नि जुम्मा खां जाति मुसलमान निवासी सैदपुरा को विक्रय कर मौके पर कब्जा प्रदान कर दिया था। श्रीमती गीता ने अपने स्वामित्व व कब्जा की दो विस्वा भूमि को जरिये रिजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 03.02.2022 को रीना पत्नि हरगोबिंद तथा हेमलता पत्नि राजमुकुट निवासी जिन्दपुरा को विक्रय कर उसी रोज मौका व कब्जा प्रदान कर दियाएवं क्रेतागण ने क्रय की गई आराजी में पुक्ता निर्माण कर उसमें निवास शुरू कर दिया परन्तु प्रार्थी के द्वारा उक्त तथ्यों की जानकारी होते हुए भी न्यायालय श्रीमान में तथ्यों को छुपाते हुये गलत तरीके से स्थगन प्राप्त कर लिया है। प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

सहायक कलक्टर
उच्चैन (भरतपुर)

Scanned with ACE Scanner

मेरे द्वारा उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तांगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली,शपक्ष पत्र एवं पत्रावली के साथ संलग्न राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। चूकि अप्रार्थी संख्या 5 व 6 उक्त विवादित आराजी में 2 विस्वा भूमि के सद्भावी क्रेता है एवं मौके पर काबिज आराजी है। प्राईमाफेसी केस, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिंदू प्रार्थी के हक में साबित नहीं होते है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

ललित मीना (आर0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन भरतपुर

Scanned with ACE Scanner